प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय-मऊ।

प्रशासनिक आदेश संख्या :- 03 **दिनांक:- 09.01.2025**

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों हेतु निर्गत कैलेण्डर वर्ष 2025 के नोट संख्या 03 के अनुसार जनपद न्यायाधीश को जिलाधिकारी से विचार-विमर्श कर पांच स्थानीय अवकाश घोषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार नोट संख्या 07 के अनुसार यदि द्वितीय शनिवार या रविवार के दिन कोई राष्ट्रीय या अन्य अवकाश घोषित है तो जनपद न्यायाधीश उसके स्थान पर अतिरिक्त दिवस को अवकाश घोषित कर सकते है।

जनपद न्यायालय मऊ में पांच स्थानीय अवकाश एवं वर्ष 2025 में दिनांक 26.01.2025 रविवार को गणतंत्र दिवस, दिनांक 06.04.2025 रविवार को रामनवमी एवं दिनांक 06.07.2025 रविवार को मोहर्रम पड़ने के स्थान पर अतिरिक्त अवकाश घोषित किये जाने हेतु जिलाधिकारी कार्यालय, मऊ से प्राप्त अवकाश विवरण एवं सिविल कोर्ट सेन्ट्रल बार एसोसिएशन द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करने के उपरान्त जनपद न्यायालय मऊ में कैलेण्डर वर्ष 2025 हेतु निम्न अवकाश घोषित किये जाते हैः-

स्थानीय अवकाश

क्रम सं.	स्थानीय अवकाश/ पर्व का नाम	दिनांक	सप्ताह के दिन
1.	मकर संक्रांति	14.01.2025	मंगलवार
2.	शबे बरात	14.02.2025	शुक्रवार
3.	होली	15.03.2025	शनिवार
4.	महानवमी	01.10.2025	बुधवार
5.	गोबर्धन पूजा/ चित्रगुप्त पूजा	22.10.2025	बुधवार

अतिरिक्त अवकाश

वर्ष 2025 में द्वितीय शनिवार एवं रविवार को पड़ने वाले अवकाश				वर्ष 2025 में द्वितीय शनिवार एवं रविवार को पड़ने वाले अवकाश के स्थान पर घोषित अतिरिक्त अवकाश		
क्रम सं.	पर्व/अवकाश का नाम	दिनांक	सप्ताह के दिन	पर्व/अवकाश का नाम	दिनांक	सप्ताह के दिन
1.	गणतंत्र दिवस	26.01.2025	रविवार	शरद नवरात्रि कलश स्थापना	22.09.2025	सोमवार
2.	रामनवमी	06.04.2025	रविवार	छठ पूजा, ऊषा अर्घ	28.10.2025	मंगलवार
3.	मोहर्रम	22.10.2025	रविवार	बारावफात	05.09.2025	शुक्रवार

जनपद न्यायालय, मऊ के सभी न्यायालय एवं कार्यालय तथा ग्राम न्यायालय मधुबन, मऊ उपर्युक्त तिथियों को बन्द रहेंगे।

उक्त आदेश जनपद न्यायालय, मऊ की वेबसाइट पर अपलोड किया जाय तथा इसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मऊ, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मऊ, ग्राम न्यायालय मधुबन, मऊ एवं सभी न्यायालय एवं कार्यालयों को प्रेषित किया जाए तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाय।

(Sunil Kumar) 08/01/25

जनपद न्यायाधीश
मऊ।

पत्र संख्या: दिनांक:मऊ 2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, मऊ।
2. पुलिस अधीक्षक, मऊ।
3. अधीक्षक, जिला कारागार मऊ।
4. अध्यक्ष/ महामंत्री सिविल सेन्ट्रल बार एसोसिएशन, मऊ।
5. जिला अभियोजन अधिकारी, मऊ।
6. जिला सूचना अधिकारी ,मऊ को इस आशय से प्रेषित कि सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।

(Sunil Kumar) 08/01/25

जनपद न्यायाधीश
मऊ।